

Original Article

बौद्ध धर्म में नारी शिक्षा का अध्ययन

डॉ. पंकज कुमार

सामाजिक विज्ञान संकाय इतिहास ल. ना. मि. वि. दरभंगा

Email: pankajdbga1977@gmail.com

Manuscript ID:

JRD -2025-171024

ISSN: 2230-9578

Volume 17

Issue 10

Pp. 107-110

October, 2025

Submitted: 18 Sept. 2025

Revised: 28 Sept. 2025

Accepted: 13 Oct. 2025

Published: 31 Oct. 2025

सारांश

प्रस्तुत शोधपत्र में बौद्ध धर्म में स्त्री शिक्षा का अध्ययन पर प्रकाश डाला गया है। ईसा पूर्व छठी शताब्दी में धार्मिक आन्दोलन का प्रबलतम रूप हम बौद्ध धर्म की शिक्षाओं तथा सिद्धांतों में पाते हैं। जो पालि लिपि में संकलित हैं, जैन परंपरा को ईसा की पाँचवीं शताब्दी में लिखित रूप प्रदान किया गया, इस कारण बौद्ध धर्म से संबंधित पालि वैदिक ग्रंथों के बाद सबसे रचनाओं की कोटि से आता है। बौद्ध धर्म के समुचित ज्ञान के लिए इस धर्म के त्रिरत्न – बुद्ध धर्म तथा संघ तीनों का अध्ययन है। शिक्षा मनुष्य के सर्वांगीण विकास का माध्यम है इससे मानसिक तथा बौद्धिक शक्ति तो विकसित होती है। भौतिक जगत का भी विस्तार होता है। गुरुकुल परंपरा में चली आ रही प्राचीन शिक्षा पद्धति का बौद्ध काल में परिवर्तन हुआ और अब मठों तथा विहारों में दी जाने लगी। आत्मसंयम एवं अनुशासन की पद्धति द्वारा व्यक्तित्व के निर्माण पर बल दिया जाने लगा। शुद्धता एवं सरल जीवन इसका प्रमुख उद्देश्य था। गुरु शिष्य के बीच सद्भावना और सन्मार्ग था। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को समाज का योग्य सदस्य बनाने और फिर भारत को मजबूत बनाने का प्रयास किया जाता था। शिक्षा के विषय और पद्धति बौद्ध काल में काफी परिवर्तित हो चुकी थी। स्त्री शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाने लगा।

मुख्य शब्द :- बुद्धिष्ट, बौद्धकाल, बौद्धिक शिक्षा, साहित्य, स्त्री शिक्षा।

प्रस्तावना

वैदिक कालखंड में वैदिक धर्म प्रारंभ में अत्यंत सरल था। बाद में गुरुकुल पद्धति और ब्राह्मणों के एकाधिकार के कारण अनेक कर्मकांडों का समावेश हुआ। फलतः वैदिक धर्म जटिल होकर लूट होने लगा। जनता वास्तविक धर्म की भूलती गई। इस तरह वैदिक कालखंड के अंत में धार्मिक एवं सामाजिक जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएँ आने लगी। इन्हीं समस्याओं एवं विषमताओं के सुधार के लिए बौद्ध धर्म का उदय हुआ। जिसका प्रभाव तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था पर पड़ा। बौद्ध धर्म तत्कालीन जनता की भाषा में प्रचारित होने वाला तथा जन साधारण वाला धर्म था इसलिए बौद्ध धर्म का प्रचार और बौद्ध शिक्षा का विकास हुआ।

गौतम बुद्ध के समय नारी की स्थिति अति हेय एवं दयनीय हो उठी थी। बुद्ध के उपदेशों में स्त्रियों पर प्रचुर से आक्रोश की वर्षा हुई है। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि स्त्रियों की दशा उतनी हीन न थी, जिनकी तत्कालीन साहित्य में वर्णित है। गौतम बुद्ध ने युवा वर्ग का भिक्षु जीवन की ओर आकर्षित करने की दृष्टि से एवं माया केन्द्र नारी से विरक्त करने का सही उपाय निकाला था कि नारी का अतिनारकीय स्वरूप ही समाज के सम्मुख रखा जाय, जाकि पुरुष वर्ग स्वयं ही नारी से घृणा करने लगे। जो नारी वैदिक युग में लक्ष्मी मानी जाती थी एवं घर ही रानी समझी जाती थी, बौद्ध युग में मात्र 'वासना की पुतली' के रूप में प्रस्तुत की गई थी। गौतम बुद्ध ने स्वयं कहा, जैसे नदी, पथ, शराब खाने, धर्मशालाएँ, प्याऊ आदि सबके लिए होते हैं, वैसे ही लोक स्त्रियाँ भी सबके लिए होती हैं। पालि साहित्य में स्त्री का मात्र कुल्टा रूप ही प्रतिबिम्बित होता है। जातक में ऐसी स्त्रियों के 25 लक्षण बताए गए हैं।

गौतम बुद्ध नारी-समाज के भिक्षु धर्म में दीक्षित करने के पक्ष में नहीं थे किन्तु अपने प्रिय आनन्द के अनुरोध पर नारी प्रव्रज्या की अनुमति दी थी लेकिन इसके साथ आठ शर्तें भी लगा दी। प्रतिबन्ध लगाते हुए तथागत ने आनन्द से कहा है आनन्द! यदि स्त्रियों को गृहस्थ जीवन का परित्याग कर तथागत द्वारा प्रतिपादित धर्म तथा चिर-स्थायी होता है।



Quick Response Code:



Website:

<https://jrdvrb.org/>

DOI:

10.5281/zenodo.17636853



Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0)

This is an open access journal, and articles are distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) Public License, which allows others to remix, tweak, and build upon the work noncommercially, as long as appropriate credit is given and the new creations are licensed under the identical terms.

Address for correspondence:

डॉ. पंकज कुमार, सामाजिक विज्ञान संकाय इतिहास ल. ना. मि. वि. दरभंगा

How to cite this article:

कुमार, . पंकज . (2025). बौद्ध धर्म में नारी शिक्षा का अध्ययन. Journal of Research and Development, 17(10), 107–110. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17636853>

आनन्द! अब स्त्रियों को वह अधिकार प्रदान कर दिया गया, अतः यह विशुद्ध धर्म, आनन्द अब मात्र पाँच सौ वर्षों तक स्थिर रह पाएगा। यद्यपि गौतम बुद्ध स्त्री प्रव्रज्या से खुश नहीं थे तथापि बौद्ध ग्रन्थों में अनेक ऐसे उद्धरण मिलते हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि स्त्रियाँ प्रायः शिक्षित और विद्वान् हुआ करती थी। विद्या, धर्म और दर्शन के प्रति उनकी अगाध रुचि होती थी। बौद्ध आगामों की शिक्षिकाओं के रूप में भी उन्होंने ख्याति प्राप्त की थी। थेरीगाथा की कवियित्रियों में 32 आजीवन ब्रह्मचारिणी और विवाहित भिक्षुणियाँ थी। उनमें शुभा, सुमेधा, और अनुपमा उच्च वंश की कन्याएँ थी, जिनसे विवाह करने के लिए राजकुमार और संपत्तिशाली सेठों के पुत्र उत्सुक थे।

नारी शिक्षा का पाठ्यक्रम

पुराणों से विदित होता है कि नारी शिक्षा के दो रूप थे, एक आध्यात्मिक और दूसरा व्यवहारिक। आध्यात्मिक ज्ञान में बृहस्पति-भगिनी भुवना, अपर्णा, एकपर्णा एकपाप्ला, मेना, धारिणी, संनति, शरूपा आदि कन्याओं के नामों का उल्लेख है, जो ब्रह्मवादिनी थी। आध्यात्मिक ज्ञान की अभिवृद्धि योग और तप पर निर्भर करती थी जिसमें स्त्री ब्रह्मचर्य, सदाचरण, गृहस्थिक शिक्षा से भी अवगत हुआ करती थी। ललित कलाओं में भी वे निपूण होती थी। कौशलपूर्वक नृत्य करती थी। तथा ऋग्वेद की ऋचाओं का गान करती थी। उत्तर वैदिक कालीन व्यवहारिक शिक्षा में वे नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि की भी शिक्षा ग्रहण करती थी। प्रमदाओं की कमनीय भाव-भंगिमा और आकर्षक नृत्यकला शोभा और सुन्दरता का केन्द्र बिन्दु थी। चित्रकला का समुचित विकास हो चुका था। सुस्थ रेखांकन रंगों का अपेक्षित प्रयोग तथा आकृति का अभिव्यक्तिकरण चित्रकला में प्रधान आधार थे। इस सम्बन्ध में अनेक पौराणिक संदर्भ मिलते हैं। वाणासुर में मंत्री कुष्माण्ड की कन्या की सखी चित्रलेखा ने चित्रपट पर अनेक देवों, गंधवों और मनुष्यों की आकृतियों का अंकन किया था, जिसमें अनिरुद्ध का भी चित्ताकर्षक चित्र था।

बौद्धकाल में नारी शिक्षा का प्रारम्भ

‘चुल्लवग्ग’ में वर्णित है कि स्त्री प्रव्रज्या के सम्बन्ध में तथागत द्वारा प्रतिपादित धर्म तथा विनय के अनुसार प्रव्रज्या ग्रहण करने की अनुमति नहीं गई होती तो वह विशुद्ध धर्म चिरस्थायी होता। अब स्त्रियों को यह अधिकार प्रदान कर दिया गया, अतः यह विशुद्ध धर्म आनन्द, अब मात्र पाँच सौ वर्षों तक स्थिर रह पाएगा। इस उद्धरण से स्पष्ट है कि महात्मा बुद्ध स्त्री प्रव्रज्या से बहुत संतुष्ट नहीं थे, तथापि बौद्ध आगामों की शिक्षिकाओं के रूप में भी उन्होंने ख्याति प्राप्त की थी। थेरीगाथा की कवियित्रियों में 32 आजीवन ब्रह्मचारिणी और 18 भिक्षुणियाँ थी। उनमें शुभा, सुमेधा और अनुपमा उच्च वंश की कन्याएँ थी, जिनसे विवाह करने के लिए राजकुमार और सम्पत्तिशाली सेठों के पुत्र उत्सुक थे। संयुक्त निकाय से ज्ञात होता है। सुभद्रा नामक भिक्षुणी व्याख्यान देने में प्रसिद्ध थी। इससे स्पष्ट है कि बौद्ध शिक्षा के अन्तर्गत नारी शिक्षा प्रारम्भ करने हेतु प्रव्रज्या संस्कार लड़कों के समा नहीं लड़कियों का भी सम्पन्न किया जाता था। प्रव्रजित नारी भिक्षुणी कहलाती थी। जो भिक्षुणी आजीवन भिक्षुणी बने रहकर संघ की सेवा करना चाहती थी उनका ‘उपसम्पदा’ संस्कार भी भिक्षुओं के समान सम्पन्न किया जाता था महात्मा बुद्ध ने नारी प्रव्रज्या तथा उपसम्पदा की अनुमति दी थी किन्तु इसके साथ आठ शर्तें भी लगा दी थी जो निम्न थी।

1. भिक्षुणियाँ श्रमणों का आदर करेंगी।
2. अभिक्षु-कुल में भिक्षुणियों का वर्षावास नहीं होगा।
3. प्रत्येक पखवारक भिक्षुणियाँ भिक्षु संघ से उपोसध प्राप्त करेंगी।
4. वर्षावास के अनन्तर भिक्षुणियों को दोनों संघों में दृष्ट, श्रुत और परिशंकित तीनों स्थानों में प्रवारण करनी पड़ेगी।
5. भिक्षुणियाँ दोनों संघों में पक्ष मानना करेंगी।
6. दो वर्ष के अन्तर्गत छः धर्मों में शिक्षित होकर भिक्षुणी को दोनों संघों में उपसम्पदा की प्रार्थना करनी पड़ेगी।
7. भिक्षुणी को आक्रोश परिभाषा नहीं करना होगा तथा भिक्षुओं के सम्बन्ध में कुछ कहने का मार्ग भिक्षुणियों के लिए निरुद्ध होगा।

साहित्य की समीक्षा

आशीष कुमार मिश्र (2006 ई०) ने अपने शोध प्रबंध “प्राचीन भारतीय साहित्य एवं कला में नारी” इन्होंने अपने शोध प्रबंध में प्राचीन भारत में नारी शिक्षा के विविध आयामों का वर्णन किया है। इन्होंने अपने शोध प्रबंध में नारी शिक्षा के आधार पर प्राचीन भारतीय शैक्षिक पद्धति के महत्वपूर्ण पक्षों की चर्चा की है।

भीम प्रिय अशोक (1995 ई०) ने अपने शोध प्रबंध “गुप्तों के काल के बाद बौद्ध धर्म एवं संस्कृति” इन्होंने बौद्ध धर्म शिक्षा और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण वर्णन किया है। इन्होंने अपने शोध प्रबंध में गुप्तों के काल के बाद ही शिक्षा की स्थिति के आधार पर प्राचीन भारतीय शैक्षिक पद्धति के महत्वपूर्ण पक्षों की चर्चा की है।

यह प्रकाश श्रीवास्तव (1994 ई०) ने अपने शोध प्रबंध “बौद्ध एवं जैन शिक्षा प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन” में निम्न उद्देश्य निर्धारित किए बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के शैक्षिक तत्वों का उनसे सम्बन्धित साहित्यों से विश्लेषण करना। बौद्ध एवं जैन शिक्षा के उद्देश्यों की तुलना करना। दोनों धर्मों में शिक्षण संस्थाओं की अनुशासन व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन करना। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में तुलनात्मक अध्ययन के प्राप्त दोनों धर्मों के प्रासंगिक तत्वों की सम्भावनाओं की विवेचना करना। इस शोध कार्य में शोधार्थी इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि जैन व बौद्ध शिक्षा प्रणाली के उद्देश्यों में व्यक्ति के चतुर्दिक विकास पर बल दिया गया है। बौद्ध एवं जैन शिक्षा प्रणाली में प्रचलित विधियों विषय वस्तु के स्वरूप एवं शिक्षक उद्देश्यों पर आधारित हुआ करती थी। जैन व बौद्ध छात्र संकल्पना तथा उससे सम्बन्धित लक्षण आज भी प्रासंगिक हैं इन लक्षणों से मंडित छात्र, शिक्षक, शिक्षा एवं समाज के प्रति उचित दृष्टिकोण रखता है निश्चित ही यह शिक्षा के प्रति सार्थक व सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करने में सहायक है।

श्री बी०एन० लूनिया ने उनके सम्पत्ति, सामाजिक तथा विवाह का विवरण करते हुये लिखा है कि वह सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी नहीं हो सकती थी और उसका उपार्जित धन उसके पति अथवा पिता का समझा जाता था। स्त्रियाँ परिषदों या सभाओं में प्रवेश

नहीं कर सकती थी। बहुपत्नी विवाह प्रचलित था। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक एवं सामाजिक अधिकारों से वंचित करने के दो निम्नलिखित प्रमुख कारण और थे। कर्मकाण्ड की जटिलता और पवित्रता की धारणा में वृद्धि जिसकी वजह से यह विश्वास किया जाने लगा कि मंत्र के उच्चारण में तनिक सी भूल अनिष्ट कारक होती है। इसलिये स्त्री वर्ग की उनके अध्ययन से अलग कर दिया गया इसका कारण अन्तर्जातीय विवाह आर्यों ने अपने समुदाय में स्त्रियों की कमी को पूरा करने के लिये अनार्यों से विवाह किया जो विधि-विधान आदि से अपरिचित थी और इस कारण इसको धार्मिक सामाजिक क्षेत्र से दूर रखना उचित समझा गया। विवाह स्त्रियों के लिये अनिवार्य कर दिया गया। विधवा पर निषेध जारी किया गया। बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन और बढ़ा। इन सब प्रमाणों से पता चलता है कि उत्तर वैदिक काल के अन्त में सैद्धांतिक रूप से अधिकारों का उपयोग करती रही थी।

मीना शर्मा (1999 ई०) ने "बौद्ध मत के शैक्षिक मूल्य एवं उनका समालोचनात्मक अध्ययन" ने अपने अध्ययन में निम्न उद्देश्य निर्धारित किए—शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान करने वाले बौद्ध सम्प्रदायो, आचार्यों, ग्रन्थों तथा उनसे विदित विचारों का परिचय देना। शिक्षा के प्रयोजन, पाठ्यक्रम शिक्षण-विधि, शिक्षक-शिक्षार्थी एवं उनके सम्बन्धों को बौद्ध शैक्षिक मूल्य की दृष्टि से परिभाषित करना। बौद्ध ग्रन्थों से शिक्षा एवं शैक्षिक मूल्य विषय सामग्री का सर्वेक्षण एवं विश्लेषण करना। संग्रहीत बौद्ध शैक्षिक मूल्यों की तुलना शिक्षा के विकास में उनके योगदान एवं आधुनिक सन्दर्भ में उनकी व्यवहारिकता एवं प्रासंगिकता की विवेचना करना। इस शोध कार्य में शोधार्थी इस निष्कर्ष पर पहुँची की बौद्ध आचार्यों ने भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में अनेक क्रान्तिकारी प्रयोग किए तथा पूर्व में प्रचलित शिक्षण परम्परा का संशोधन एवं वर्धन करते हुए उसे नई दिशा एवं नए आयाम दिए। बौद्ध शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता उसका केवल बौद्ध कालीन सीमाओं में बंधा न रहना है। शिक्षा को मानव मूल्यों से जोड़कर उसे संकुचित सीमाओं से उबारना। अनुशासन को ऐसा सर्वोच्च मूल स्वीकार करना जिससे न केवल छात्र अधिकारी अपितु आचार्य और सम्पूर्ण संघ नियंत्रित होता है। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के भी कुछ अंग बौद्ध शैक्षिक मूल्यों से अवश्य प्रभावित है, किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से देखने पर आधुनिक शिक्षा व्यवहार प्रधान और अध्यात्म शुन्य अर्थात् एकांगी है, जो मध्य दृष्टि से पूर्ण नहीं कही जा सकता है।

अध्ययन का उद्देश्य

बौद्ध शिक्षा के निम्न उद्देश्य हैं :-

1. बौद्ध के तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना।
2. बौद्ध धर्म का प्रचार करना।
3. सत्य अहिंसा के आधार पर मानव समाज की स्थापना।
4. मोक्ष प्राप्ति।
5. चरित्र का निर्माण।
6. व्यक्तित्व का विकास।
7. जीवन के लिए तैयारी।
8. लौकिक एवं दैहिक सुखों का त्याग दिव्य मानवता की प्राप्ति।

बौद्धो ने एक विकसित शिक्षा प्रणाली विकास किया है। जिसके अपने विशिष्ट उद्देश्य स्पष्ट दृष्टि गोचर रहते हैं। बौद्ध धर्म के दार्शनिक एवं शैक्षिक विचार आज भी पूरी तरह प्रासंगिक हैं। गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित बौद्ध दर्शन मानवता के कल्याण हेतु है। बुद्ध ने जिस प्रकार से दुःख को पहचाना और उससे बचने का जो मार्ग दिया, वह बौद्ध धर्म दर्शन की एक बड़ी उपलब्धि थी। बताये गये मार्ग की अनुसरण कर आज दुःखों से त्रस्त मानव समाज उससे छूटकारा प्राप्त कर सकता है। उनका कहना था कि व्यक्ति जन्म से नहीं बल्कि कर्म से ब्राह्मण या शुद्ध होता है। केवल ब्राह्मण ही स्वर्ग में सुख योगने के सुयोग्य पात्र नहीं होते वरन् पुण्य कर्मों द्वारा क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र भी स्वर्ग के अधिकारी हो सकता है। वर्ण व्यवस्था एवं छुआछूत को कम करने में बौद्ध धर्म दर्शन बहुत ही सहायक है।

अनुसंधान क्रियाविधि

प्राचीन भारत में मौखिक शिक्षा पद्धति का विशेष महत्व था। महाभारत के अनुसार मौखिक पाठ विधि से वेदों का अध्ययन होता था। मौखिक शिक्षा पद्धति का उल्लेख जातको में भी मिलता है बौद्ध शिक्षण पद्धति का आरंभ स्वयं महात्मा बुद्ध ने किया था।

विद्यार्थी के कठोर नियमों का पालन करना पड़ता था। स्नान करते समय विद्यार्थी के लिए जल क्रीड़ा करना निषिद्ध था। संगंध और अलंकार का वह उपयोग नहीं कर सकता था। वह अपने केशों का गुच्छा बनाकर सिर पर बांध लेता था अथवा शिखा रखकर सिर मुंडवा लेता था। बौद्ध शिक्षा केन्द्र अधिकतर नगरों में तथा अग्रहर ग्रामों में थे। तक्षशिला के अध्यापक राजधानी में ही रहा करते थे।

प्राचीन साहित्य में गुरुकुलों में रहकर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के नाम मिलते थे। ज्ञात होता है कि इतिहास के विभिन्न युगों में शिक्षा की गुरुकुल पद्धति का प्रचलन था। उदाहरण—उद्दालक आरुणि के पुत्र श्वेतकेतु ने गुरुकुल में रहकर अध्ययन किया था। विष्णु पुराण से ज्ञात होता है कि कृष्ण तथा बलराम ने संदीपनि के आश्रम में रहकर अध्ययन किया था। रामायण में भारद्वाज तथा वाल्मीकी के गुरुकुलों का उल्लेख मिलता है। महाभारत से ज्ञात होता है कि कण्व तथा मार्कण्डेय ऋषियों के आश्रमों में प्रसिद्ध शिक्षा केन्द्र थे।

विश्लेषण

उत्तर वैदिक काल विधि विधानों का प्रभुत्व और ब्राह्मणों की शक्ति में कालातीत वृद्धि हुई जिसके फलस्वरूप समाज में निम्न जातियों और महिलाओं की स्थिति में गिरावट आना शुरू हो गई। कोई भी धार्मिक कृत्यों की पूर्ति ब्राह्मणों के बिना संभव नहीं होती। ब्राह्मणों के वर्चस्व में अत्यधिक वृद्धि हुई। बौद्ध धर्म ने ऐसे समय में ईश्वर और व्यक्ति के बीच किसी मध्यस्थ को अस्वीकार करते ऐसे धर्म को जन्म दिया जिसमें बिना किसी असमानता के समूचा मानव समाज शामिल हो सकता था। बौद्धवाद ने आत्म नियंत्रण और आत्म संस्कृति के सिद्धांत पर जोर दिया। बौद्ध दर्शन के अनुसार कोई व्यक्ति स्वयं में उक्त दोनों गुणों को विकसित कर लेता है तो वह निर्वाण को प्राप्त हो सकता है। यदि कोई स्त्री भी उक्त दोनों गुणों को प्राप्त कर सके तो उसे भी निर्वाण प्राप्त हो सकता है। ऐसा बौद्ध धर्म की मान्यता थी। इस प्रकार हिन्दु धर्म में महिलाओं की स्वतंत्रता पर जो अंकुश लगाये गये थे बौद्ध धर्म ने उनके लिये दरवाजे खोल दिये।

बौद्धकाल में शिक्षा मनुष्य के सर्वांगीण विकास का साधना थी। इसका उद्देश्य मात्र पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करना नहीं था, अपितु मनुष्य के स्वास्थ्य का भी विकास करना था। बौद्ध युग में शिक्षा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक उत्थान का सर्वप्रमुख माध्यम थी। बौद्ध साहित्य में व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करना शिक्षा का महत्व, उद्देश्य बतलाया गया है। चरित्र एवं आचरणहीन व्यक्ति की सर्वत्र निंदा की गई है। प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति विश्व की सर्वाधिक रोचक तथा महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक है। इस सभ्यता के सम्पूर्ण ज्ञान के लिए इसकी शिक्षा पद्धति का अध्ययन आवश्यक है। प्राचीन भारतीयों ने शिक्षा को आध्यात्मिक महत्व प्रदान किया है। भौतिक तथा आध्यात्मिक उत्थान एवं समाज के विभिन्न उत्तरदायित्वों के निर्वाह में शिक्षा की महत्ता को सदा स्वीकार किया गया है, वैदिक युग से ही इसे प्रकाश का स्रोत माना गया है। जो मानव के विभिन्न क्षेत्रों को आलोकित करते हुए सही दिशा निर्देश देता है। सुभाषित रत्न संग्रह से कहा गया है, विज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र है। जो उसे समस्त तत्वों के मूल को जानने में सहायक करता है तथा सही कार्यों को करने की विधि बताता है। महाभारत में कहा गया है कि विद्या के समान नेत्र था सत्य के समान कोई दुसरा तप नहीं है। विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास के साथ-साथ शारीरिक विकास का पूरा ध्यान रखा जाता था, क्योंकि स्वस्थ मस्तिष्क का अधिष्ठान स्वस्थ शरीर होता है। शिक्षा के द्वारा विद्यार्थियों में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्मसंयम, विवेकशक्ति, न्यायशक्ति आदि गुणों का उदय होता था। जो उसके व्यक्तित्व को विकसित करने में सहायक थे। शिक्षा का उद्देश्य केवल विषयों का ज्ञान कराना नहीं था, बल्कि शिक्षा जीवनमय हो जाती थी और जीवन के प्रत्येक अंग को सबल बना देती थी। समाज का योग्यतम सदस्य बनकर व्यक्ति स्वयं तथा समाज दोनों का विकास करता था।

निष्कर्ष

नारी शिक्षा की स्थिति वैदिक युग में अपने चरमोत्कर्ष पर थी, परन्तु उत्तर वैदिक समाज में नारी की स्थिति अत्यन्त दयनीय हो गई तथा जो नारी लक्ष्मी रूप में समझी जाती थी बौद्ध काल तक आते-आते वह योग्या के रूप में वर्णित की जाने लगी। यद्यपि शिक्षित स्त्रियों का पर्याप्त उद्धरण बौद्धग्रन्थों से प्राप्त होते हैं, तथापि यह संख्या बहुत सीमित थी दुसरे शब्दों में कहा जाए तो शिक्षा केवल अभिजात वर्ग तक सीमित थी। साधारण स्त्रियाँ अशिक्षित ही होती थी या वे केवल माता-पिता, भाई, बन्धु आदि से अपने घर पर ही शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. सिंह, डॉ. अनिल कुमार :- बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति, कला प्रकाशन, बी. एच. यू. वाराणसी, 2008
2. वाक्य, राजेन्द्र प्रसाद :- बौद्ध दर्शन, मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 2001
3. शर्मा, आर. एस. :- मैटेरियल बैकमाउन्ड ऑफ ओरिजिन ऑफ बुद्धिष्ट, सेन एण्ड राव (संस्करण) नई दिल्ली, 1998
4. सिंह, महेन्द्र नाथ :- बौद्ध तथा जैन धर्म, विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी, 1990
5. श्रीवास्तव, के. सी. :- 'प्राचीन भारत का इतिहास' यूनाइटेड बुक डिपो इलाहाबाद, 1993
6. थापर, रोमिला :- भारत का इतिहास, राजकमल प्रकाशन दिल्ली, 1988
7. दीक्षित, उपेन्द्र नाथ :- 'भारतीय शिक्षा की प्रमुख समस्याएँ', राजस्थान बुक स्टोर्स उदयपुर, 1985
8. ओड, लक्ष्मी कान्त के. :- 'शिक्षा के दार्शनिक आधार', राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 1983
9. पाण्डे गोविन्द चन्द्र :- बौद्ध धर्म के विकास का इतिहास, लखनऊ, 1963
10. टी. डब्ल्यू. रिजडेविड्स :- बुद्धिष्ट इंडिया, कलकत्ता, 1950
11. झा द्विजेन्द्रनारायण :- प्राचीन भारत का इतिहास, दिल्ली विश्वविद्यालय